

बिहार शिक्षा परियोजना
कचहरी चौक, अम्बेदकर भवन,
पोस्ट - मोतिहारी कोर्ट, मोतिहारी
जिला पूर्वी चम्पारण, पिन - 845401



BIHAR EDUCATION PROJECT

Court Chowk, Ambedkar Bhawan
P.O- Motihari Court, Motihari,
East Champaran, Pin - 845401

Phone No.- 06252-239249,

Fax No. - 06252-239589,

Email- bepeastchamparan@gmail.com

पत्रांक - बि.शि.प 201/2018

दिनांक 14-04-2018

प्रपत्र - 2

कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी-प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान
सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

मॉडर्न पब्लिक स्कूल, चौकमारी, मोतिहारी
पूर्वी - चम्पारण

विषय :- बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 4264 / 12/11/2017 और उसके क्रम में अपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय (नाम एवं पता) मॉडर्न पब्लिक स्कूल, चौकमारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

पहली (I) पहली (II) कक्षा से आठवीं (VIII) तक संचालय हेतु तीन वर्षों - 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए औपबन्धिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक - 1), बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011(अनुलग्नक-2) तथा बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) नियमावली - 2013 (अनुलग्नक -3) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. केंद्रिका-3 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें के किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:-

14-04-2018

Principal
Modern Public School
Chaukumari, Motihari
Assisted to CBSE, New Delhi
Secretary
Modern Public School
Motihari

- i. किसी भी नामकित बच्चे को किसी भी बच्चा से रोकथाम नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं टिा जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आला में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- v. अधिनियम के प्रावधानों के आलाक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

- vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - viii. शिक्षक निजी - स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण - गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलाक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उल्लेखित मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है-

विद्यालय - परिसर का क्षेत्रफल - 8461.3 Sq. mtr
 कुल निर्गत क्षेत्र -
 खेल का मैदान का क्षेत्र - 7070 Sq. mtr
 वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या - 40
 प्रधानाध्यापक - सह - कार्यालय - सह - भंडार - 02
 बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय - 25
 पेयजल की सुविधा - है
 मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर (केवल सरकारी स्कूलों के लिए) - N/A
 बाधारहित पहुँच - है
 शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल - कूद उपकरण / पुस्तकालय - उपलब्ध है


11. कोई भी अप्रत्याशित वर्गकक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीडा विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1260 (1950 का 21) के अंतर्गत निर्वाचित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए संचालित नहीं होगा।



 14.04.2016

Principal
 Modern Public School
 Affiliated to CBSE, New Delhi
 Chandernagar, Mathura
 Secretary
 Modern Public School
 Mathura

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या EC-CB-140/04/14-15 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी - प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय - समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अन्य शर्तें :-
- वैसे विद्यालय संस्थान जिन्होंने अभी तक विद्यालय का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अंतर्गत नहीं कराये हैं, वे अविलम्ब एक वर्ष के अन्दर विद्यालय का निबंधन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - उपरोक्त कंडिका - 2 के अधिनियमों के अधीन आवश्यक सभी भौतिक व शैक्षणिक सुविधाएँ अविलम्ब अगले छः माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय की प्रस्वीकृति को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के अधीन सुरक्षित रहेगा।

विश्वासभजन
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मोतिहारी पूर्व चम्पारण 14-04-2018
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना, पूर्वी चम्पारण।


Principal
Modern Public School
Affiliated to CBSE, New Delhi
Chandmari, Motihari


Secretary
Modern Public School
Motihari